राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 तारीख रजू अंतिम निर्णय दिनांक 10.7.25

82/2019 27.03.2019

उनवानः

1. जयसिंह सामरिया पुत्र रमेशचन्द यामरिया जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर जरिये मुख्तयार आम कैलाशचन्द पुत्र श्री छोटेलाल जाति चमार निवासी तालाब वाली गुवाडी नीमराना तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

बनाम ....वादी

1. रामनारायण पुत्र श्री बिशम्भर दयाल जाति चमार
2. यशवन्त पुत्र श्री बिशम्भरदयाल जाति चमार
3. मेवा देवी बेवा मूलचन्द पुत्रवु रामप्रसाद जाति चमार
4. राकेश पुत्र मूलचन्द पौत्र रामप्रसाद जाति चमार
5. सुनील पुत्र बुधराम जाति चमार
6. शेरसिंह पुत्र बुधराम जाति चमार ....मृतक

6/1 कमलेश पत्नी स्व. शेरसिंह जाति चमार

6/2 कंचन पुत्री स्व. शेरसिंह जाति चमार

6/3 सुमित पुत्र स्व. शेरसिंह जाति चमार

7. कैलाश पुत्र बुधराम जाति चमार
8. भूतेरी देवी बेवा बुधराम जाति चमार
9. सन्तरा पुत्री बुधराम जाति चमार सभी निवासी नीमराना तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन कृषि भूमी मुताबिक बटवारा समझौता पत्र

उपस्थितिः– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अशोक कुमार निमोरिया योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1362 रकबा 0.55 है0, 1371 रकबा 0.18 है0, वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान का प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे बाहमी बंटवारा दिनांक 22.05.2015 के मुताबिक सुनिल कुमार के हिस्से मे खसरा नम्बर 1371 रकबा 18 एयर सालिम आयी थी जिस पर सुनिल कुमार काबिज रहते हुऐ उक्त आराजी मे सुनिल कुमार ने अपने खातेदारी हिस्से का बेचान मिन वादी को जरिये रजि0 बयनामा के किया गया और मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक खसरा नम्बर 1371 रकबा 18 एयर पर कब्जा दिया गया था। जो कब्जा आज तक बदस्तूर चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.55 है0 अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से मे आया था जिस पर प्रतिवादीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा लिखतम दिनांक 22.05.2015 के मुताबिक आराजी मुतनाजा का विभाजन करवाने से इंकार कर दिया और मिन वादी के हिस्से व कब्जा काश्त के खसरा नम्बर को अपना बताकर लठ के बल पर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी । इस पर मिन वादी द्वारा यह दावा तकसीम आराजी का जरिये मुख्तयार खास के पेश किया गया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन बंटवारा लिखतम दिनांक 22.05.2015 के मुताबिक किया जाने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। बाद तलवी प्रतिवादी 1 लगा. 8 की ओर से श्री अशोक कुमार निमोरिया एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया । पत्रावली वास्ते जबाब दावा नियत की गई। प्रतिवादी सं0 9 लगा. 11 बावजूद सूचना न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद पत्र के अधिकतर तथ्यो को इंकार करते हुऐ जबाब पेश किया कि वादी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया गया है। प्रतिवादीगण ने समझौता दिनांक 22.05.2015 को स्वीकार करते हुऐ कहा कि उक्त समझझैता पत्र की पालना स्वंय सुनिल कुमार ने नही की गई। सुनिल कुमार द्वारा 09 एयर भूमि खसरा नम्बर 1362 मे देकर, उसके बादले मे खसरा नम्बर 1371 मे से 09 एयर भूमि लेना तय हुआ था। लेकिन रिकार्ड के मुताबिक सुनिल कुमार 09 एयर भूमि ना तो ले सकता था ना ही दे सकता था। जिसमे 03 एयर भूमि हम अन्य प्रतिवादीगण की है। हम प्रतिवादीगण की 03 एयर भूमि को हडफ करने के लिए वादी ने यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। सुनिल कुमार द्वारा वादी के पक्ष मे करवाया गया बयनामा को निरस्त करवाने का दावा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, बहरोड के समक्ष रामनारायण बनाम सुनिल वगै0 का पेश किया हुआ है। जिसमे साक्ष्य एकत्रित करने के आशय से वादी ने यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो दावा चलने योग्य नही है। काबिल खारिज है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई।

तत्पश्चात उभय पक्ष द्वारा दावा मे वर्णित आराजी का विभाजन कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर किया जाने के लिए दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने के लिए बहस की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर एवं मौजूदा परिस्थिति के अनुसार दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान का विभाजन बिना विभाजन प्रस्ताव मंगवाये, किया जाना सम्भव नही होने के कारण, वादी के वाद पत्र को दिनांक 12.07.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.07.2022 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.55 है0, 1371 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 27.12.2024 को तैयार करवाकर इस न्यायालय मे दिनांक 09.01.2025 को पेश की गई । वकील वादी उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 27.12.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	जयसिंह पुत्र रमेशचन्द हि0 सम्पूर्ण कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	1580/1371	0.1045
		कुल किता–1 रकबा 0.1045 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	रामनारायण पुत्र बिशम्बरदयाल हि.73/220 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	1563/1362	0.0160
2.	[illegible] पुत्र बिशम्बरदयाल हि.73/220 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	1565/1362	0.3006
3.	सेवा देवी पत्नी मूलचन्द हि. 37/990 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	कुल किता–2 रकबा 0.3166 है0	
4.	राकेश पुत्र मूलचन्द हि. 37/990 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
5.	सन्तो पुत्री सोनदत्त हि. 37/990 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
6.	सुनील कुमार पुत्र बुधराम हि. 37/275 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
7.	कमलेश देवी पत्नी शेरसिंह हि. 37/4950 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
8.	कंचन पुत्री शेरसिंह हि. 37/4950 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
9.	सुनील पुत्र शेरसिंह हि. 37/4950 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
10.	कैलाश पुत्र बुधराम हि. 37/1650 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
11.	मूर्ती देवी पत्नी बुधराम हि. 37/1650 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
12.	सन्तोष पुत्री बुधराम हि. 37/1650 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		

सर्वेक्षणानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात ने पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा ने, कुर्रे रिपोर्ट ने दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्मा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 10.7.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्रसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
82 / 2019	27.03.2019	16.7.25

उनवान:

1. जयसिंह सामरिया पुत्र रमेशचन्द सामरिया जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर जरिये मुख्तयार आम कैलाशचन्द पुत्र श्री छोटेलाल जाति चमार निवासी तालाब वाली गुवाडी नीमराना तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

............वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री बिशम्भर दयाल जाति चमार
2. यशवन्त पुत्र श्री बिशम्भरदयाल जाति चमार
3. मेवा देवी बेवा मूलचन्द पुत्रवधु रामप्रसाद जाति चमार
4. राकेश पुत्र मूलचन्द पौत्र रामप्रसाद जाति चमार
5. सुनील पुत्र बुधराम जाति चमार
6. शेरसिंह पुत्र बुधराम जाति चमार ....मृतक

6/1 कमलेश पत्नी स्व. शेरसिंह जाति चमार

6/2 कंचन पुत्री स्व. शेरसिंह जाति चमार

6/3 सुमित पुत्र स्व. शेरसिंह जाति चमार

7. कैलाश पुत्र बुधराम जाति चमार
8. भूतेरी देवी बेवा बुधराम जाति चमार
9. सन्तरा पुत्री बुधराम जाति चमार सभी निवासी नीमराना तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन कृषि भूमी मुताबिक
बटवारा समझौता पत्र

उपस्थिति:– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री अशोक कुमार निमोरिया योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 27.12.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1	जयसिंह पुत्र रमेशचन्द हि0 सम्पूर्ण कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	1580 / 1371	0.1045
		कुल किता–1 रकबा 0.1045 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1	रामनारायण पुत्र बिशम्बरदयाल हि.73/220 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	1563/1362	0.0160
2	बलवन्तसिंह पुत्र बिशम्बरदयाल हि.73/220 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	1565/1362	0.3006
3	मेवा देवी पत्नी मूलचन्द हि. 37/990 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार	कुल किता–2 रकबा 0.3166 है0	
4	राकेश पुत्र मूलचन्द हि. 37/990 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
5	रूपाली पुत्री सोमदत्त हि. 37/990 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
6	सुनिल कुमार पुत्र बुधराम हि. 37/275 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
7	कमलेश देवी पत्नी शेरसिंह हि. 37/4950 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
8	कंचन पुत्री शेरसिंह हि. 37/4950 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
9	सुमित पुत्र शेरसिंह हि. 37/4950 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
10	कैलाश पुत्र बुधराम हि. 37/1650 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
11	भूतेरी दवी पत्नी बुधराम हि. 37/1650 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		
12	सन्तरा पुत्री बुधराम हि. 37/1650 कौम चमार सा0 नीमराना खातेदार		

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा बाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.7.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)